

¹[Rule 60 : Form and manner of ascertaining details of inward supplies

1 Rule 60 substituted by Noti. No. 82/2020-Central Tax, dt. 10-11-2020 w.e.f. 01-01-2021. Earlier to substitution it read as under:

"Rule 60 : Form and manner of furnishing details of inward supplies

- (1) Every registered person, other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, required to furnish the details of inward supplies of goods or services or both received during a tax period under sub-section (2) of section 38 shall, on the basis of details contained in **Part A, Part B and Part C** of **FORM GSTR-2A**, prepare such details as specified in sub-section (1) of the said section and furnish the same in **FORM GSTR-2** electronically through the common portal, either directly or from a Facilitation Centre notified by the Commissioner, after including therein details of such other inward supplies, if any, required to be furnished under sub-section (2) of section 38.
- (2) Every registered person shall furnish the details, if any, required under sub-section (5) of section 38 electronically in **FORM GSTR-2**.
- (3) The registered person shall specify the inward supplies in respect of which he is not eligible, either fully or partially, for input tax credit in **FORM GSTR-2** where such eligibility can be determined at the invoice level.
- (4) The registered person shall declare the quantum of ineligible input tax credit on inward supplies which is relatable to non-taxable supplies or for purposes other than business and cannot be determined at the invoice level in **FORM GSTR-2**.
- (4A) The details of invoices furnished by an non-resident taxable person in his return in **FORM GSTR-5** under rule 63 shall be made available to the recipient of credit in Part A of **FORM GSTR 2A** electronically through the common portal and the said recipient may include the same in **FORM GSTR-2**.
- (5) The details of invoices furnished by an Input Service Distributor in his return in **FORM GSTR-6** under rule 65 shall be made available to the recipient of credit in **Part B** of **FORM GSTR 2A** electronically through the common portal and the said recipient may include the same in **FORM GSTR-2**.
- (6) The details of tax deducted at source furnished by the deductor under sub-section (3) of section 39 in **FORM GSTR-7** shall be made available to the deductee in **Part C** of **FORM GSTR-2A** electronically through the common portal and the said deductee may include the same in **FORM GSTR-2**.
- (7) The details of tax collected at source furnished by an e-commerce operator under section 52 in **FORM GSTR-8** shall be made available to the concerned person in **Part C** of **FORM GSTR 2A** electronically through the common portal and such person may include the same in **FORM GSTR-2**.
- (8) The details of inward supplies of goods or services or both furnished in **FORM GSTR-2** shall include the -
 - (a) invoice wise details of all inter-State and intra-State supplies received from registered persons or unregistered persons;

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

- (1) The details of outward supplies furnished by the supplier in **FORM GSTR-1** or using the IFF shall be made available electronically to the concerned registered persons (recipients) in Part A of **FORM GSTR-2A**, in **FORM GSTR-4A** and in **FORM GSTR-6A** through the common portal, as the case may be.
- (2) The details of invoices furnished by ²an non-resident taxable person in his return in **FORM GSTR-5** under rule 63 shall be made available to the recipient of credit in Part A of **FORM GSTR 2A** electronically through the common portal.
- (3) The details of invoices furnished by an Input Service Distributor in his return in **FORM GSTR-6** under rule 65 shall be made available to the recipient of credit in Part B of **FORM GSTR 2A** electronically through the common portal.
- (4) The details of tax deducted at source furnished by the deductor under sub-section (3) of section 39 in **FORM GSTR-7** shall be made available to the deductee in Part C of **FORM GSTR-2A** electronically through the common portal.
- (5) The details of tax collected at source furnished by an e-commerce operator under section 52 in **FORM GSTR-8** shall be made available to the concerned person in Part C of **FORM GSTR 2A** electronically through the common portal.
- (6) The details of the integrated tax paid on the import of goods or goods brought in domestic Tariff Area from Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer on a bill of entry shall be made available in Part D of **FORM GSTR-2A** electronically through the common portal.
- (7) An ³[auto-generated] statement containing the details of input tax credit shall be made available to the registered person in **FORM GSTR-2B**, for every month, electronically through the common portal, and shall consist of -
 - (i) the details of outward supplies furnished by his supplier, other than a supplier required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39, in **FORM GSTR-1**, between the day immediately after the due date of furnishing of **FORM**

-
- (b) import of goods and services made; and
 - (c) debit and credit notes, if any, received from supplier."

2 Read as "a".

3 Substituted "auto-drafted" by Noti. No. 19/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022.

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

GSTR-1 for the previous month to the due date of furnishing of **FORM GSTR-1** for the month;

- (ii) the details of invoices furnished by a non-resident taxable person in **FORM GSTR-5** and details of invoices furnished by an Input Service Distributor in his return in **FORM GSTR-6** and details of outward supplies furnished by his supplier, required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39, in **FORM GSTR-1** or using the IFF, as the case may be,-
 - (a) for the first month of the quarter, between the day immediately after the due date of furnishing of **FORM GSTR-1** for the preceding quarter to the due date of furnishing details using the IFF for the first month of the quarter;
 - (b) for the second month of the quarter, between the day immediately after the due date of furnishing details using the IFF for the first month of the quarter to the due date of furnishing details using the IFF for the second month of the quarter;
 - (c) for the third month of the quarter, between the day immediately after the due date of furnishing of details using the IFF for the second month of the quarter to the due date of furnishing of **FORM GSTR-1** for the quarter;
 - (iii) the details of the integrated tax paid on the import of goods or goods brought in the domestic Tariff Area from Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer on a bill of entry in the month.
- (8) The Statement in **FORM GSTR-2B** for every month shall be made available to the registered person,-
- (i) for the first and second month of a quarter, a day after the due date of furnishing of details of outward supplies for the said month, in the IFF by a registered person required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39, or in **FORM GSTR-1** by a registered person, other than those required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39, whichever is later;
 - (ii) in the third month of the quarter, a day after the due date of furnishing of details of outward supplies for the said month, in **FORM GSTR-1** by a registered person required to furnish

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39.]

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

1[नियम 60 : आवक प्रदाय के अभिनिश्चित ब्यौरे का प्ररूप और रीति

1 अधिसूचना क्रमांक 82/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा नियम 60 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)। प्रतिस्थापन के पूर्व नियम 60 यह इस प्रकार था-

नियम 60 : आवक प्रदायों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति

- (1) एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 38 उपधारा (2) के अधीन किसी कर अवधि के दौरान प्राप्त मालों या सेवाओं की आवक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित है, प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग क, भाग ख और भाग ग में अंतर्विष्ट ब्यौरों के आधार पर ऐसे ब्यौरे तैयार करेगा जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है और उन्हें ऐसी अन्य आवक प्रदायों के ब्यौरों को सम्मिलित करके, यदि कोई हों, जिनकी धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।
- (2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ब्यौरों, यदि कोई हों, जिनकी प्ररूप जीएसटीआर-2 में इलैक्ट्रॉनिकी रूप में धारा 38 की उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, प्रस्तुत करेगा।
- (3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति आवक प्रदायों को, जिनके संबंध में वह या तो पूर्णतया या भागतः पात्र नहीं है, तो प्ररूप जीएसटीआर-2 में इनपुट कर प्रत्यय के लिए विनिर्दिष्ट करेगा जहां ऐसी पात्रता का अवधारण बीजक स्तर पर किया जा सकता है।
- (4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जावक प्रदायों, जो गैर-कराधेय प्रदायों से संबंधित है या कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए हैं और जिनका प्ररूप जीएसटीआर-2 में बीजक स्तर पर अवधारण नहीं किया जा सकता है, पर अपात्र इनपुट कर प्रत्यय की मात्रा को घोषित करेगा।
- (4क) किसी गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा नियम 63 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-5 में उसकी विवरणी में प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग क में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें प्ररूप जीएसटीआर-2 में सम्मिलित कर सकेगा।
- (5) किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा नियम 66 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-6 में उसकी विवरणी में प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ख में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें प्ररूप जीएसटीआर-2 में सम्मिलित कर सकेगा।
- (6) किसी स्रोत पर कटौतीकर्ता द्वारा धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-7 में कटौती किए गए कर के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ग में, जिसकी कटौती की गई है उसको सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें प्ररूप जीएसटीआर-2 में सम्मिलित कर सकेगा।
- (7) किसी ई-कामर्स प्रचालक द्वारा धारा 52 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-8 में स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ग में संबंधित व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें प्ररूप जीएसटीआर-2 में सम्मिलित कर सकेगा।
- (8) प्ररूप जीएसटीआर-2 में प्रस्तुत मालों या सेवाओं या दोनों की आवक प्रदायों के ब्यौरों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-
 - (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों या गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त अंतर-राज्य और अंतः राज्य प्रदायों के बीजकवार ब्यौरे;
 - (ख) मालों और सेवाओं के किए गए आयात; और
 - (ग) प्रदायकर्ता से प्राप्त नामे और प्रत्यय टिप्पण, यदि कोई हो।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (1) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में या आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए जावक प्रदाय के ब्यौरे संबंधित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (प्राप्तिकर्ता) को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग क में, प्ररूप जीएसटीआर-4क में और प्ररूप जीएसटीआर-6क में, जैसा भी मामला हो, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से, उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (2) नियम 63 के अधीन किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-5 में प्रस्तुत की गयी विवरणी में बीजक के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग क में को उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (3) नियम 65 के अधीन किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-6 में प्रस्तुत की गयी विवरणी में बीजक के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ख में को उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (4) धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-7 में कटौतिकर्ता द्वारा दिए गए स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक माध्यम से प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ग में जिससे कटौती की गयी है को उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (5) धारा 52 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-8 में ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा दिए गए स्रोत पर एकत्र किए गए कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप माध्यम से संबंधित व्यक्ति को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ग में उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (6) प्रविष्टि के बिल पर माल के आयात या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में प्रविष्टि के बिल पर लाए गए माल पर संदत्त एकीकृत कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक माध्यम से प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग घ में उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (7) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्ररूप जीएसटीआर-2ख में ²[स्वतः जनित] किया गया इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक माह के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे :
 - (i) पूर्ववर्ती माह की प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख के ठीक पश्चात् दिन से चालू माह की प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख के बीच में उसके प्रदायकर्ता, जो कि धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित प्रदायकर्ता से भिन्न है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए जावक प्रदायों के ब्यौरे,
 - (ii) प्ररूप जीएसटीआर-5 में अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरे और प्ररूप जीएसटीआर-6 में इनपुट सेवा वितरक द्वारा अपनी विवरणी में प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरे और उनके प्रदायकर्ता, जो कि धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करते हैं, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1

2 अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा "स्वतः तैयार" प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

में या आई एफ एफ का प्रयोग करके प्रस्तुत जावक प्रदायों के ब्यौरे, जैसा भी मामला हो :

- (क) तिमाही के प्रथम मास के लिए, पूर्ववती तिमाही के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** प्रस्तुत करने की देय तारीख के ठीक पश्चात् दिन से तिमाही के प्रथम मास के लिए आई एफ एफ का प्रयोग करते हुए ब्यौरे प्रस्तुत करने की देय तारीख तक के बीच;
- (ख) तिमाही के दूसरे मास के लिए, तिमाही के पहले मास के लिए आई एफ एफ का उपयोग करते हुए ब्यौरे देने की देय तारीख के ठीक पश्चात् दिन से तिमाही के दूसरे मास के लिए आई एफ एफ का उपयोग करते हुए ब्यौरे देने की देय तारीख तक बीच;
- (ग) तिमाही के तीसरे मास के लिए, तिमाही के दूसरे मास के लिए आई एफ एफ का प्रयोग करते हुए ब्यौरे देने की देय तारीख के ठीक पश्चात् दिन से तिमाही के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** के देने की देय तारीख तक के बीच;
- (ii) मास में प्रविष्टि के बिल पर माल के आयात या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में प्रविष्टि के बिल पर लाये गये माल पर संदत्त एकीकृत कर के ब्यौरे।
- (8) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रत्येक मास के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-2ख** में विवरण उपलब्ध कराए जाएंगे,—
- (i) तिमाही के पहले और दूसरे मास के लिए, धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आई एफ एफ में जावक प्रदायों को प्रस्तुत कराने की नियत तारीख के पश्चात् दिन, या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न है, द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात् दिन, इसमें से जो भी पश्चात्पूर्वी हो;
- (ii) तिमाही के तीसरे माह के लिए, धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त माह की जावक प्रदायों को **प्ररूप जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात् दिन से।]